निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 4/2024
दायरा दिनांकः–04.09.2024
निर्णय दिनांकः– 16.10.24

उनवान

1. पृथ्वीराज आयु 59 वर्ष पुत्र काशीलाल जाति जाट निवासी ग्राम कराडियापार तहसील छबडा जिला बारां राजस्थान

बनाम

1. रामेश्वर आयु 34 वर्ष पुत्र जोधराज
2. रूकमणी बाई आयु 60 वर्ष पत्नि जोधराज
3. रामकल्याण आयु 70 वर्ष पुत्र काशीलाल
4. संजन बाई आयु 75 वर्ष पुत्री काशीलाल जातियान जाट निवासीगण ग्राम कराडियापार तहसील छबडा जिला बारां राजस्थान
5. चैनसिंह आयु 40 वर्ष पुत्र उधमसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम हनुवतखेडापार तहसील छबडा जिला बारां राजस्थान
6. सरपंच ग्राम पंचायत तीतरखेडी पंचायत समिति छबडा जिला बारां राजस्थान
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां राजस्थान

अपील नामान्तकरण नम्बर 332 दिनांक 05.10.2021 ग्राम कराडियापार
अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0एक्ट
निर्णय दिनांकः– 16.10.24
अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री सोमेश कुमार गालव– प्रार्थी

अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील नामान्तकरण नम्बर 332 दिनांक 05.10.2021 ग्राम कराडियापार अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0एक्ट वाके माल कराडियापार जमाबंदी सम्वत 2072–2075 मे खाता संख्या 50 आराजी खसरा नम्बर 31 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 33 रकबा 4 बीघा, खसरा नम्बर 51 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 63 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा खसरा नम्बर 76 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 117 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 129 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 136 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा खसरा नम्बर 154 रकबा 15 बिस्वा खसरा नम्बर 194 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 10 तादादी 26 बीघा 17 बिस्वा, भूमि रामकल्याण, पृथ्वीराज जोधराज पुत्र काशीलाल रामनाथी बेवा काशीलाल, ओम जाट निवासी ग्राम कराडियापार तहसील छबड़ा जिला बारां राजस्थान के नाम दर्ज रिकार्ड जमाबंदी था। अपील की मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी मे खातेदार जोधराज पुत्र काशीलाल फौत होने से नामान्तरकरण नम्बर 291 दिनांक 01/07/2015 से उसके वारिसान रामेश्वर, गजेन्द्र पुत्र जोधराज रूकमणीबाई पत्नि स्व० जोधराज का नाम दर्ज रिकार्ड जमाबंदी हुआ जो रेस्पोडेन्ट कम 1 रामेश्वर एंव रेस्पोडेन्ट कम 2 रूकमणीबाई है एंव मृतक जोधराज का पुत्र गजेन्द्र फौत हो गया है इसलिए अपील मे पक्षकार नही बनाया

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

...ा है। अपील की मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी मे से खसरा नम्बर 194 रकबा 5 बीघा ...3 बिस्वा मे खातेदार पृथ्वीराज पुत्र काशीलाल ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/4 एंव खातेदारा रामनाथी पत्नि स्व० काशीलाल ने अपना हिस्सा 1/4 में से 1/3 यानि 1/12 भाग केता रेस्पोडेन्ट कम 5 चौनसिंह पुत्र उधमसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम हनुवतखेड़ापार तहसील छबड़ा को बेचान कर दिया है। जिसका नामान्तरकरण नम्बर 312 दिनांक 25.06.2018 दर्ज है। अपीलान्ट और रेस्पोडेन्ट कम 3 एंव रेस्पोडेन्ट कम 4 की मां एंव रेस्पोडेन्ट कम 1 की दादी एंव रेस्पोडेन्ट कम 2 की सास रामनाथीबाई के फौत होने पर अपील की मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी मे हल्का पटवारी द्वारा फौती नामान्तकरण नम्बर 332 दिनांक 05/10/2021 दर्ज किया गया जिसमे मृतक रामनाथीबाई के वारिसान सजरा अनुसार एंव वास्तविक रामकल्याण, पृथ्वीराज पुत्रगण काशीलाल सजनबाई पुत्री काशीलाल एंव रामेश्वर पुत्र जोधराज, रूकमणीबाई पत्नि स्व० जोधराज जाति जाट निवासी गण कराडियापार थे जिसके स्थान पर हल्का पटवारी ने सहवन से रामकल्याण, जोधराज पुत्रगण काशीलाल सजनबाई पुत्री काशीलाल, रामेश्वर पुत्र पृथ्वीराज, रूकमणीबाई पत्नि स्व० पृथ्वीराज ओम जाट निवासीगण ग्राम कराडियापार दर्ज कर दिया जिसे दिनांक 05/10/2021 को रेस्पोडेन्ट कम 6 ने तस्दीक कर दिया। जो गलत है उसे निरस्त करवाकर पुनः नामान्तकरण दर्ज करवाने का अपीलान्ट अधिकारी है। अपील की मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी वर्तमान जमाबंदी अन्तिम चौसाला सम्वत 2076-2079 में खाता संख्या 51 में खसरा नम्बर 117 रकबा 0.0253 हैक्टयर, खसरा नम्बर 129 रकबा 1.3152 हैक्टयर, खसरा नम्बर 136 रकबा 0.4679 हैक्टयर, खसरा नम्बर 154 रकबा 0.1897 हैक्टयर, खसरा नम्बर 31 रकबा 0.5185 हैक्टयर, खसरा नम्बर 33 रकबा 1.0117 हैक्टयर, खसरा नम्बर 51 रकबा 0. 6576 हैक्टयर, खसरा नम्बर 64 रकबा 0.3541 हैक्टयर, खसरा नम्बर 76 रकबा 0.8852 हैक्टयर कुल किता 9 कुल तादादी 5.4252 हैक्टयर जिसमे अपीलान्ट के स्थान पर रामेश्वर पुत्र पृथ्वीराज, रूकमणीबाई पत्नि स्व० पृथ्वीराज, एंव रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 एंव रेस्पोडेन्ट कम 1 का मृतक भाई गजेन्द्र पुत्र जोधराज एंव रेस्पोडेन्ट कम 3 व 4 के नाम दर्ज रिकार्ड जमाबंदी है। एंव खाता संख्या 83 में भूमि खसरा नम्बर 194 रकबा 1.3658 हैक्टयर, मे भी अपीलान्ट के स्थान पर रामेश्वर पुत्र पृथ्वीराज, रूकमणीबाई पत्नि स्व० पृथ्वीराज, एंव रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 एंव रेस्पोडेन्ट कम 1 का मृतक भाई गजेन्द्र पुत्र जोधराज एंव रेस्पोडेन्ट कम 3, 4, 5 के नाम दर्ज रिकार्ड जमाबंदी है। अपील की मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी मे हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण नम्बर 332 मे मृतक रामनाथी के वारिसान मे मृतक जोधराज के स्थान पर पृथ्वीराज दर्ज कर दिया। जिससे वर्तमान मे अपीलान्ट जीवित होते हुए भी राजस्व रिकार्ड में अपील की मद नम्बर 3 मे वर्णित आराजी मे मृत घोषित हो रहा है जिसे खारिज करवाकर पुनः नामान्तरकरण दर्ज करवाने का अपीलान्ट अधिकारी है । नामान्तरकरण नम्बर 332 दिनांक 05/10/2021 रेस्पोडेन्ट कम 6 द्वारा तस्दीक किया गया जिस कारण अपील मे पक्षकार बनाया गया है।

अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेंट क्रम 1 स्वंय उपस्थित रेस्पोडेंट क्रम 2 ता 6 के सम्मन वाद तामील प्राप्त बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। अपीलान्ट द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम कराडियापार सम्वत् 2072-75 खाता संख्या 50 नकल नामान्तरण संख्या 291 ग्राम कराडियापार नकल नामान्तरण संख्या 312 दिनांक 25.06.2018 ग्राम कराडियापार नकल नामान्तरण संख्या 332 दिनांक 05.10.2021 ग्राम कराडियापार नकल मृत्यु प्रमाण पत्र

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

मनाथी बाई दिनांक 28.06.2020 नकल जमाबन्दी ग्राम कराडियापार सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 51 नकल जमाबन्दी ग्राम कराडियापार सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 83 आधार कार्ड पृथ्वीराज पेश किया गया।

बहस अभिभाषक अपीलान्ट सूनी गई बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट को स्वीकार करने का निवेदन किया। वकील अपीलान्ट का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम कराडियापर तहसील छबडा में स्थित है उक्त विवादित भूमि के खातेदार जोधराज पुत्र काशीलाल के फोत होने से नामान्तरण नम्बर 291 दिनांक 01.07.2015 उसके परिसान के नाम दर्ज हुआ। खसरा नम्बर 194 रकबा 5.08 बीघा में से खातेदार पृथ्वीराज पुत्र काशीलाल ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/4 एवं खातेदार रामनाथी पत्नि काशीलाल ने अपना हिस्सा 1/4 मे से 1/3 यानि 1/12 भाग क्रेता रेस्पोडेट क्रम 5 चैनसिंह पुत्र उद्यम सिंह जाति अहीर निवासी हनुवतखेडापार को बेचान कर दिया जिसका नामान्तरण नम्बर 312 दिनांक 25.06.2018 दर्ज है रामनाथी बाई के फोत होने पर अपील में वर्णित आराजी का फोती नामान्तरण नम्बर 332 दिनांक 05.10.2021 दर्ज किया जिसमें मृतक रामनाथी बाई के वारिसान सजरा अनुसार एवं वास्तविक रूप से रामकल्याण पृथ्वीराज पुत्र काशीलाल संजन बाई पुत्री काशीलाल एवं रामेश्वर पुत्र जोधराज रूकमणी बाई पत्नी स्व0 जोधराज थे जिसके स्थान पर सहवन से रामकल्याण जोधराज पुत्र काशीलाल संजनबाई पुत्री काशीलाल रामेश्वर पुत्र पृथ्वीराज रूकमणी बाई पत्नी स्व0 पृथ्वीराज के नाम दर्ज कर दिया जिसे दिनांक 05.10.2021 को तस्दीक कर दिया जों गलत है अपीलान्ट उसे निरस्त करवा कर पुनः नामान्तरण दर्ज करवाने के अधिकारी है नामान्तरण संख्या 332 में मृतक रामनाथी के वारिसान में मृतक जोधराज के स्थान पर पृथ्वीराज दर्ज कर दिया जिससे वर्तमान मे अपीलान्ट जीवित होते हुए मृत घोषित कर दिया गया है जिसे खारिज कराने के अधिकारी है। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे। तथा नामान्तरण संख्या 332 दिनांक 05.10.2021 खारिज फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक अपीलान्ट सूनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। मूल प्रार्थना पत्र के निस्तारण से पूर्व प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का अवलोकन किया जिसको स्वीकार किया जाता है। नकल नामान्तरण संख्या 291 दिनांक 01.07.2015 मृतक जोधराज के वारसिान के नाम दर्ज किया गया। नकल नामान्तरण संख्या 312 दिनांक 25.06.2018 विक्रय पत्र के आधार पर खोला जाकर तस्दीक होना पाया जाता है। नकल नामान्तरण संख्या 332 दिनांक 05.10.2021 के अनुसार मृतक रामनाथी बाई का फोती नामान्तरण खोला जाकर तस्दीक होना पाया जाता है प्रस्तुत नकल इन्तकाल से यह साबित होता है कि नामान्तरण संख्या 291 मृतक जोधराज का फोती नामान्तरण उनके पारिसान के नाम खोला जाकर तस्दीक किया गया। तथा नामान्तरण संख्या 332 मृतक रामनाथी बाई का फोती नामान्तरण उसके वारिसान के नाम खोला जाकर तस्दीक किया गया परन्तु नामान्तरण संख्या 332 में अंकित सजरा अनुसार पृथ्वीराज को फोत होना बताया गया तथा जोधराज के वारिसान के नाम नामान्तरण दर्ज कर तस्दीक कर दिया गया जबकि पृथीराज अभी जिन्दा है जिसने नामान्तरण की अपील की है नामान्तरण संख्या 291 से यह साबित होता हे कि जोधराज फोत हो चुका है। ऐसी स्थिति में नामान्तरण संख्या 332 मृतक रामनाथी बाई के वारिसान के नाम खोला जाकर तस्दीक किया गया है उसे खारिज कर तहसीलदार छबडा को पुनः जॉच कर नामान्तरण खोलने हेतु रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

:: **क्रियात्मक आदेश** ::

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है नामान्तरण संख्या 332 दिनांक 05.10.2021 खारिज किया जाता है। तहसीलदार छबडा को निर्णय की प्रति प्रेषित कर रिमाण्ड किया जाता है कि मृतक रामनाथी बाई के वारिसान की जॉच कर पुनः नामान्तरण खोला जाकर तस्दीक किया जावें।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)